भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1149

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत नौकरी के लिए कुशल कामगारों को तैयार करना

1149. श्रीमती शांभवी: श्री राजेश वर्मा: श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अगले पांच वर्षों के दौरान कौशल विकास के लिए वर्ष-वार लक्ष्य क्या हैं;

(ख) उपरोक्त योजना के अंतर्गत विशेष रूप से महाराष्ट्र और बिहार में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने और राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) को सभी केन्द्रों में समान रूप से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं:

(घ) क्या सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत रोजगार कुशल कामगार तैयार करने के लिए उद्योगों के साथ भागीदारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दर के संबंध में आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार लाभार्थियों के लिए रोजगार लिंकेज सुनिश्चित कर रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय 2022-23 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) को लागू कर रहा है, जो 2022-23 से 2025-26 तक चार वर्षों की अवधि के लिए देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से 1.5 करोड़ उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के लिए एक मांग-संचालित योजना है।

वित्त वर्ष 2024-25 में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 31.12.2024 तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सीमांत समूहों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत विभिन्न पहल की हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 का फोकस यह सुनिश्चित करके समावेशिता में सुधार करना है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाएं और अन्य हाशिए के समुदाय कौशल प्रशिक्षण ले सकें और अंततः लाभकारी मजदूरी और स्वरोजगार तक पहुंच सकें। इसके अलावा, सामान्य मानदंडों में परिभाषित विशेष समूहों महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और विशेष क्षेत्रों के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, विशेष परियोजनाओं के तहत परियोजनाएं/प्रशिक्षण महिलाओं जैसे हाशिए पर और कमजोर समूहों को लक्षित करके आवासीय प्रशिक्षण के साथ शुरू किए जा सकते हैं। सामान्य मानदंडों के अनुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए वाहन सुविधा भी अनुमत है। बिहार और महाराष्ट्र राज्य में 31.12.2024 तक पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	**राज्य**	**प्रशिक्षित महिला उम्मीदवार**	**प्रशिक्षित एससी उम्मीदवार**	**प्रशिक्षित एसटी उम्मीदवार**	**प्रशिक्षित ओबीसी उम्मीदवार**
1	बिहार	54,099	13,858	2,034	65,294
2	महाराष्ट्र	47,471	13,161	3,921	34,081

(ग) भारत सरकार ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने और सभी केंद्रों में एनएसक्यूएफ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत उपायों को लागू किया है। इसमें मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) और प्रशिक्षण केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है। प्रशिक्षकों के पास प्रमाणपत्र होना चाहिए और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम से गुजरना होगा। नियमित मूल्यांकन, प्रमाणन और तीसरे पक्ष के ऑडिट अनुपालन और प्रभावशीलता को और सुनिश्चित करते हैं।

(घ) इस योजना ने उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है ताकि नौकरी के लिए तैयार कुशल कर्मचारी तैयार किए जा सकें। उद्योग के गठजोड़ सह-डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वास्तविक दुनिया के उद्योग के माहौल का अनुभव हो, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़े।

(ङ) पीएमकेवीवाई योजना के तहत, योजना के पहले तीन संस्करणों में शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) घटक में प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वे इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख हैं। हालांकि, रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में आरंभ किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के हितधारकों को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पारिस्थितिकी प्रणालियों को एकीकृत करता है। संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध है।

अनुबंध I

दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1149 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित

31.12.2024 तक वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024-25 में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण

क्रमांक	राज्य	प्रशिक्षित उम्मीदवार
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	869
2.	आंध्र प्रदेश	31,039
3.	अरुणाचल प्रदेश	9,205
4.	असम	69,776
5.	बिहार	84,478
6.	चंडीगढ़	559
7.	छत्तीसगढ	15,150
8.	दिल्ली	9,208
9.	गोवा	236
10.	गुजरात	37,692
11.	हरियाणा	65,302
12.	हिमाचल प्रदेश	16,412
13.	जम्मू और कश्मीर	76,902
14.	झारखंड	27,061
15.	कर्नाटक	43,921
16.	केरल	8,768
17.	लद्दाख	298
18.	लक्षद्वीप	120
19.	मध्य प्रदेश	2,31,052
20.	महाराष्ट्र	63,338
21.	मणिपुर	16,064
22.	मेघालय	7,026
23.	मिजोरम	5,919
24.	नागालैंड	5,929
25.	ओडिशा	23,528
26.	पुदुचेरी	2,281
27.	पंजाब	98,488
28.	राजस्थान	2,52,660
29.	सिक्किम	2,857
30.	तमिलनाडु	74,268
31.	तेलंगाना	17,659
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,407
33.	त्रिपुरा	12,582
34.	उत्तर प्रदेश	3,94,164
35.	उत्तराखंड	32,916
36.	पश्चिम बंगाल	30,299
योग		**17,69,433**

****